अध्याय - 7

अभिवहन के दौरान इमारती लकड़ी एवं वन उपज के नियंत्रण के संबंध में

धारा 41. वन उपज के अभिवहन (Transit) को विनियमित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति –

(1) इमारती लकड़ी को बहाकर परिवहन करने के लिये विषय में, सब नदियाँ और उनके स्त्रोतो का नियन्त्रण और थल या जल द्वारा अभिवहन में कोई इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज के अभिवहन करने के लिये राज्य सरकार को अधिकार है तथा वह इमारती लकड़ी या वनोपज के परिवहन के विनियमित (Regulate) करने संबंधी नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम –

(क) उन मार्गो को विहित कर सकेगे जिनके द्वारा ही इमारती लकड़ी या अन्य वनोपज राज्य में आयात या राज्य से निर्यात् या राज्य के अन्दर परिवहन की जा सकेगी।

(ख) ऐसे अधिकारी के पास बिना, जो उसे देने लिये सम्यक् रूप से प्राधिकृत है, या ऐसे पास को प्रतिषिद्ध कर सकेंगे।

(ग) ऐसे पासों को दिये जाने, पेश करने, या वापस करने के लिये तथा उसके लिये फीस के दिये, जाने के लिये उपबन्ध कर सकेंगे।

(घ) अभिवहन में, इमारती लकड़ी या अन्य वन–उपज को, जिसके विषय में यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी कीमत के कारण या उसकी देय किसी शुल्क, फीस, या स्वामित्व या प्रभार के कारण कोई शुल्क सरकार को देय है, या जिस पर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये चिह्न लगाना (Affix a mark) वांछनीय है, उसके बारे में रिपोर्ट देने, रोकने, उसका परीक्षण करने, (Examination) चिह्नित करने के लिये रोककर उपलब्ध कर सकने के नियम बना सकेंगे।

(ड) उन डिपो (Depot) की स्थापना और विनिमय के लिये जिनसे किसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज व्यक्तियों द्वारा, जिनके भार-साधक में वह है, परीक्षा के लिये, या ऐसे धन के दिये जाने के लिये, या उस पर चिह्न लगाने के लिये, ले जाई जावेगी तथा उन शर्तो का, जिनके अधीन ऐसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज ऐसे डिपो को लाई जावेगी, उनमें संग्रहीत की जावेगी, और उनसे हटाई जावेगी, उपलब्ध कर सकेंगे।

(च) इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के अभिवहन के लिये प्रयुक्त किसी नदी की धारा या तट को बन्द करना या बाधित करना या ऐसी किसी नदी में घास, शाखायें या पत्तियाँ फेंकना या ऐसा कोई कार्य करना जिससे ऐसी नदी का मार्ग बन्द या बाधित हो जावे, प्रतिषिद्ध कर सकेंगे।

(छ) ऐसी नदी की धारा या किनारों की किसी बाधा के निवारण या हटाने के लिये उस व्यक्ति से, जिनके कार्यो की उपेक्षा के कारण यह आवश्यक हुआ है, ऐसे निवारण या हटाने का खर्च वसूल करने के लिये उपबन्ध कर सकेंगे।

(ज) विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अन्दर, लकड़ी की चिराई मशीन के लिये गढ़्ढा बनाना, इमारती लकड़ी को संपरिवर्तित (Convert) करना, काटना, जलाना, छिपाना (Concealing) या विनियर (Vineer) बनाना या लकड़ी पर लगे चिह्नों को परिवर्तित करना (Altering) या नये चिह्न लगाना (Effacing) या इमारती लकड़ी को चिह्नित करने वाले हथौड़े (Making Hammer) का अपने आधिपत्य में रखना या साथ ले जाना, पूर्णरूप से या शर्तो के अधीन प्रतिषिद्ध कर सकेंगे।

(झ) इमारती लकड़ी के लिए संबंधी चिह्नों के प्रयोग और ऐसे चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित कर सकेंगे। उस समय को विहित कर सकेगे, जिनके लिये रजिस्ट्रीकरण प्रभावी रहेगा, एसे चिह्नों की उन संख्या को सीमित कर सकेंगे, जो किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकृत कराये जा सकेंगे तथा ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिये फीसों के उदाहरण के लिए उपबन्ध कर सकेंगे।

(2) राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि इस धारा के अधीन बनाया गया कोई नियम इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग को या किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र को लागू नहीं होंगे।

धारा 41-क. कस्टम प्रन्टियर के पार इमारती लकड़ी के परिवहन विषयक केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ - धारा 41 में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार उस मार्ग को विहित करने के लिए नियम बना सकेगी, जिसके द्वारा ही इमारती लकड़ी या अन्य वन्य-उपज ऐसे किन्हीं कस्टम फ्रन्टियर के पार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा परिनिश्चित है, आयात, निर्यात या राज्यक्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है या उनसे आयात-निर्यात या स्थानान्तरित परिवहन जा सकेगी और धारा 41 के अधीन बनाए गए कोई नियम, इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहकर ही प्रभावी होंगे।